



पत्रांक:- 3 / 02 सी०

दिनांक 02 / 1 / 2017

सेवा में,

Vindhya Telelinks Limited,
EPG Division,
Plot NO E-237, Tower Greens,
3rd floor-VIII B, Industrial Area,
Mohali-160055, Punjab India.

विषय-

Laying Optical Fibre Cable Through Aerial Mode (Poles) by Vindhya Telelinks on NH-123(507) from km.11 to 17 And km. 40 to 111.35

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक सं० VILEPC/TEL/HP/01 दि० 17.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट/चैक संख्या 647808 दिनांक 29.11.2017 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रु० 32,41,000.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसके क्रम में Permission For Laying Optical Fibre Cable Through Aerial Mode (Poles) by Vindhya Telelinks on NH-123(507) from km.11 to 17 And km. 40 to 111.35 में ओ०एफ०सी० केबिल (एरियल मोड) बिछाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:-

3. यदि भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, तो आपके द्वारा बिछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाईन नहीं हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि वह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने, नक़्क़ा, पूर्ण, भविष्यकार होगा। यदि केबल लाईन हटाई नहीं जाती और दबा दी जाती है, तो उस दशा में दबी लाईन की सप्लाय बंद करनी होगी।
4. मार्ग काटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिप्टैसिंग आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।
3. सड़क काटते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाय, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. जिस समय मार्ग काटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को यथासमय सूचित किया जाय।
5. उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 30.06.2018 तक वैध है तथा उक्त तिथि के बाद 2 प्रतिशत अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।
6. लाईन बिछाने का कार्य आगणन के अनुसार होने अत्यन्त आवश्यक है। यदि भविष्य में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा डाली गई लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
7. सड़क काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिट्टी को लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।
8. खुदाई करते समय पक्के मार्ग की नीचे का ब्लास्ट आदि ट्रेंच के एक ओर तथा खुदाई की मिट्टी दूसरी ओर रखी जाय। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिट्टी भरी जाय, एक दो दिन बाद मिट्टी दबाकर फिर खोदा गया ब्लास्ट उसके उपर डाला जाय, मिट्टी तथा ब्लास्ट को टैकर से पानी डालकर काम्पैक्ट किया जाय।

कमश...2...पर

D:/K.S.Rana /New

9. जब कभी लाईन् में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमाकर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
10. रोड कटिंग चार्ज रु० 32,41,000.00 जो कि आपके द्वारा ड्राफ्ट/चैक संख्या 647808 दिनांक 29.11.2017 स्टेट बैंक में जमा किये गये हैं व मार्ग को भविष्य में सुचारु रूप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते हैं। यह राशि नॉन रिफ़न्डेबिल है।
11. खुदाई की मिट्टी पक्की सतह पर न डाली/छोड़ी जाय।
12. आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि आगणन के अनुसार है जिसका विवरण आगणन में दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग आगणन में दिये गये क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवाये जायेंगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।
13. भविष्य में यदि कोई अन्य दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं तो उनका पालन करने हेतु आप बाध्य होंगे।
14. कार्य कराने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधियासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।
दिनांक / / 2017

पत्रांक:- /02 सी०

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को इस आवश्यक से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपि:- खण्डीय रोकडिया को उपरोक्त ड्राफ्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को सूचनार्थ।

अधियासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।